SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.05.2022

धारा 138 एन.आई.एक्ट से संबंधित 20 वर्ष व 10 वर्ष पुराने प्रकरणों में प्री–काउंसलिंग में की गई समझाईश के हुआ निस्तारण

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैंकों व उनके पक्षकारों के मध्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्फत **विशेष प्री–काउंसलिंग अभियान** के तहत एन.आई.एक्ट से संबंधित वर्ष 2002 के 04 प्रकरण एवं वर्ष 2012 के एक प्रकरण में उभय पक्षकारों के मध्य समझाईश की गई, जो कि सफल हुई। इस प्रकार 20 वर्ष पुराने 04 प्रकरणों व 10 वर्ष पुराने एक प्रकरण में समझाईश के पश्चात् राजीनामे न्यायालय में पेश किये गये तथा लोक अदालत में प्रकरणों को फैसल किया गया।

आखिर लोक अदालत ने ही दिया साथ जेल से हुआ रिहा।

परिवादी द्वारा 2017 में अभियुक्त के विरूद्ध चैक अनादरण का मुकदमा प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय से अभियुक्त को कारावास की सजा होने पर वह सजा काट रहा था इसी दौरान लोक अदालत में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश नं. 1, अजमेर के समक्ष मामला आने पर, राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत आपसी सुलह–समझाईश के कराए जाने पर दोनों पक्षकारों में राजीनामा हो गया और अभियुक्त को राजीनामे के आधार पर उसका मुकदमा समाप्त करते हुए लोक अदालत से ही रिहाई आदेश जारी हुए।

कर्जदार के टालमटोल रवैये से बैंक था परेशान – लोक अदालत में हुआ निस्तारण

लोक अदालत में मुकदमा दायर करने से पहले प्री–लिटिगेशन स्तर पर मामला सुलझाने के लिए प्रार्थना–पत्र दाखिल किये जाते हैं। कुछ ऐसा ही था बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखा, सरड़ा तहसील अकलेरा के साथ। मोईखुर्द गांव निवासी एक व्यक्ति ने कृषि कार्य के निमित्त उक्त प्रार्थी बैंक संस्था से लोन लिया और समय पर अदायगी नहीं की। जिस पर प्रार्थी बैंक ने उक्त प्रार्थी के विरूद्ध अपने स्तर से लोन रिकवरी के कई वर्षों तक प्रयास किये लेकिन सफलता नहीं मिली।

उक्त मामले को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत 14.05.2022 में प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्री–लिटिगेशन प्रार्थना–पत्र पेश किया। प्रकरण में अप्रार्थी की समझाइश की गई जहां लोक अदालत के प्रयासों से अप्रार्थी और बैंक के मध्य एक तयशुदा राशि पर मामला सैटल हो गया। मामले के निस्तारण पर बैंक ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए बैंच के समक्ष जाहिर किया कि कई वर्षों के लोन रिकवरी के प्रयासों को आज सफलता मिली है और इस मामले को निपटाने के लिए बैंक द्वारा ऐतिहासिक 18 प्रतिशत की ही रिकवरी की गयी जिसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत धन्यवाद की पात्र हैं।

38 वर्ष पुराने खेत के विवाद का लोक अदालत से हुआ निस्तारण

न्यायालयों में मुकदमों के बढते हुए बोझ तथा जटिल विधिक प्रक्रिया से दूर रहकर समय तथा धन के अपव्यय से बचकर जब न्यायालय द्वारा सक्रिय रूप से समझाईश की प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो पक्षकार आपसी मन मुटाव को भुलाकर लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करवाने हेतु प्रेरित होते हैं जिससे न केवल उस प्रकरण विशेष का अंत होता है वरन् दोनों पक्षकारों में हमेशा के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध भी बन जाते हैं।

ऐसा ही एक उदाहरण दिनांक 14.05.2022 की राष्ट्रीय लोक अदालत में 38 वर्ष पुराने जमीनी विवाद में देखने को मिला। जिसमें परिवार के ही लोगों के बीच खेत को लेकर विवाद

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.05.2022

था तथा पक्षकारों में विगत कई वर्षों से अनबन चल रही थी। इस प्रकरण में वर्ष 1983 में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। जो मुकदमा करीब 38 वर्षों तक विचाराधीन रहा। प्रकरण में परिवादी की मृत्यु हो जाने से उसके पुत्रों से सुलह समझाईश के प्रयास किए जाकर पक्षकारों के मध्य उपजे विवाद को खत्म करवाया गया। इस विषय में पीठासीन अधिकारी का अग्रणी योगदान रहा जिन्होंने पुनर्गठित पत्रावली में सर्वप्रथम राजीनामे की सम्भावना को पहचाना। इसके साथ ही न्यायालय द्वारा माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में ग्राम न्यायालय, जायल से भी समन्वय स्थापित किया गया।

उक्त प्रकरण में पक्षकारान को समझाईश हेतु न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, जायल द्वारा आयोजित किए जाने **डोर–स्टेप प्री–काउंसलिंग के शिविरों** में भी फॉलोअप किया जाकर राजीनाम की संभावनाओं को प्रगाढ किया गया। अन्ततः न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल के सबसे पुराने प्रकरणों में से एक हस्तगत प्रकरण में पक्षकारों की समझाईश कर प्रकरण को जरिए राजीनामा निस्तारित किया।

यह प्रकरण निश्चय ही माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सृजित डोर–स्टेप प्री–काउंसलिंग के नवाचार में भी मील का पत्थर साबित होगा जहां एक मुख्यालय के दो न्यायालयों द्वारा आपसी सहमति से प्रकरण के निस्तारण के पावन कार्य में परस्पर समन्वय स्थापित कर प्ररकण का निस्तारण राजीनामे से संभव हुआ। निश्चित ही ऐसे प्रकरण लोक अदालत के महत्व को और अधिक बढाते हैं।

लोक अदालत की प्रेरणा से सुलझा 35 वर्ष पुराना सम्पत्ति विवाद

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की बैंच संख्या 01 में एक भावुक क्षण देखने को मिला, जिसमें एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य 35 वर्ष पुराना सम्पत्ति विवाद लोक अदालत की बैंच, जिसकी अध्यक्षता श्री एस. के. गर्ग, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय व सदस्य श्री आर. एस. कुलहरि, सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा की गई। राष्ट्रीय लोक अदालत की इस बैंच में एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य 35 वर्ष से अधिक पुराने सम्पत्ति विवाद का आपसी समझाईश से निस्तारण किया गया।

15 वर्षों से अलग–अलग रह रहे पति–पत्नी समझाईश से साथ–साथ रहने को हुए राजी

यह प्रकरण लगभग 15 वर्षों से न्यायालय, अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, चौमूं जिला जयपुर में लंबित था। प्रार्थिया व अप्रार्थी का विवाह वर्ष 2006 में हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद ही प्रार्थिया व अप्रार्थी के बीच छोटी–छोटी बातों पर अनबन हो जाने के कारण लगभग 15 वर्षों से अलग–अलग रहकर जीवन यापन कर रहे थे। उक्त याचिका में कुल 16 पेशी दी गई, जिसमें प्रत्येक पेशी में प्रार्थिया व अप्रार्थी दोनों उपस्थित आ रहे थे, जो मुकदमे को अपनी ओर ले जाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। कई बार नौबत इस कदर आ चुकी थी कि दोनों पक्षों ने अलग–अलग रहकर जीवन यापन करना ही उचित समझा और याचिका को नोट प्रेस करवाकर सहमति से विवाह विच्छेद की डिक्री लेने हेतु याचिका पेश करने का निर्णय लिया। लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा लोक अदालत की भावना से प्रार्थिया व अप्रार्थी की दिनांक 01.04.2022 को समझाईश की गई। दिनांक 13.05.2022 को गहनता से प्री–काउंसलिंग की गई तथा समझाइश की पुरजोर कोशिश की गई, जिसके फलस्वरूप प्रार्थिया व अप्रार्थी दोनों साथ

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.05.2022

रहने हेतु राजी हो गये। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई। इस प्रकार 15 वर्षों से अलग–अलग रह रहे पति–पत्नी लोक अदालत में समझाइश से एक हुए।

धारा 147, 323, 447 भा.दं.सं. से संबंधित फौजदारी निगरानी याचिका का लोक अदालत में राजीनामे से हुआ निस्तारण

धारा 147, 323, 447 भा.दं.सं. से संबंधित फौजदारी निगरानी याचिका में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रसंज्ञान आदेश दिनांक 06.07.2015 को निरस्त फरमाने एवं निगरानीकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाये जाने की प्रार्थना न्यायालय में की गई। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा परिवादियों को न्यायालय में उपस्थित कराने हेतु टेलिफोनिक वार्ता की गई व अधिवक्तागण को प्रेरित किया गया। प्ररकण में पक्षकारों के मध्य बार–बार प्री–काउंसलिंग के प्रयासों से निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण द्वारा मारपीट के उक्त मामले में अपने किए की माफी मांगी गई जिस पर परिवादिया ने भी निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण के सिर पर हाथ रखकर लोक अदालत की भावना से माफ करना जाहिर किया। राजीनामे के आधार पर निगरानीकर्ता/अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 323, 447 भा.दं.सं. के आरोपों में दोषमुक्त किया गया। उक्तानुसार निगरानी याचिका फैसल कर परिवादिया 70 वर्षीय वृद्ध महिला ने माफी मांगने पर ही अभियुक्तगण को माफ कर एक उदाहरण समाज के लिए भी पेश किया है।

लोक अदालत में समझाईश की वजह से एक हुए दम्पत्ति

इस प्रकरण में विवाह के 02 वर्ष बाद ही पति–पत्नी में छोटी–छोटी बातों को लेकर मनमुटाव एवं झगडे होने लगे, पत्नी अपने पीहर चली गई एवं वापस आने को तैयार नहीं हुई। इस पर पति ने दामपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना हेतु यह प्रकरण पारिवारिक न्यायालय, बारां में आया। जिसे लोक अदालत में रखा गया जहां काउंसलर्स एवं न्यायालय द्वारा समझाईश की गई एवं पति–पत्नी के बीच मनमुटाव समाप्त किया गया, इस पर वे दोनों प्रेम पूर्वक साथ रहने को सहमत हुए।

इसी तरह के एक अन्य प्रकरण में पति–पत्नी के मध्य विवाद, छोटी–छोटी बातों को लेकर लडाईयां होने से जनवरी, 2020 से पत्नी अपने पीहर में रहने लगी। पति द्वारा न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–1, डीग में प्रस्तुत किया गया। लोक अदालत के दिन सदस्यगण द्वारा उभयपक्ष को समझाया गया। तत्पश्चात् उभयपक्ष द्वारा संयुक्त राजीनामा पेश किया गया एवं लोक अदालत से खुशी–खुशी अपने घर को प्रस्थान किया।

मारपीट के मामले में लोक अदालत से हुई समझाइश

मामला चित्तौड़गढ़ जिले के शंभुपुरा गांव का है। प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज की कि दिनांक 15.01.2018 को उसे रास्ते में रोककर मारपीट की गई। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2022 को ग्राम शंभुपुरा में **विशेष प्री–काउंसलिंग शिविर** आयोजित किया गया उक्त प्रकरण में दोनों पक्षकारान को तलब कर सुलहवार्ता करवाई गई। प्रार्थी ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनाम करना तय किया।

SUCCESS STORY OF NATIONAL LOK ADALAT HELD ON 14.05.2022

10 वर्ष पुराने सिविल वाद का राजीनामें से हुआ निस्तारण

न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा में विचाराधीन 10 वर्ष पुराने सिविल वाद व अन्य दो अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरणों को लोक अदालत में रखा गया। न्यायालय में उभय पक्षकारों के मध्य समझाईश की गई जिस पर विवादित स्थल के मौके पर बैन्च के अध्यक्ष व सदस्य, पक्षकारान व उनके अधिवक्तागण पहुंचे। जहां दोनों पक्षों के मध्य 10 वर्षों से चल रहे रास्ते, छज्जे व जमीनी विवाद में समझाईश कर दोनों पक्षों में राजीनामा कराया गया। दोनों पक्ष भाईचारे से रहने व राजनामें की शर्तों का पालन करने को सहमत हुए।

Restoring long lost relationship through Lok Adalat at Pokran

06 Years ago an allegation was made by a woman that her husband was not executing his promise to keep her wife happy, a case was instituted against the husband under the Protection of woman form Domestic Violence act, 2005. Years went by, proceedings continued, they debated over a compromise, consulted here and there but nothing bore any fruit. But on the day of Lok Adalat something unprecedented in their lives was noticed. The husband and wife not only agreed to live with each other form the day itself happily but even recreated a 10 year old visual from 10.02.2012, the date of their marriage. Both of them celebrated the event with bestowing garlands on each other and left the court with side smile on their faces. The thread which ran across the entire event was Lok Adalat. They attributed their decision to reconsider their married life to Lok Adalat. It was because of the principles bestowed in the notion of Lok Adalat and the individual efforts of the Members and Chairperson of bench here today at Pokaran that they were able to do something which they thought they had lost all hopes for. This gave a beautiful message to everybody present there that Compromising doesn't mean that you are wrong and someone is right. It only means that you value your relationship more than your ego.

It was just one such example where Lok Adalat was able to restore a long lost relationship, in many such instances people adjudicated through Lok Adalat with their brothers, fathers, sisters and wives on this very day with a hope to start a better life and maintain cordial relations with the ones who are their own and with whom they have been fighting over trivial issues since years. The vision which commenced in the year 1987 has been successfully fulfilling its motto "Access to justice for all". Lok Adalat gave them what they deserved, a happy and meaningful life and the upcoming Lok Adalats will not just lessen a proceeding but will also shape lives through their guiding principles.

****